

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

78/2019/प्रा.पत्र/2019

12.12.2019

03.02.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

- 1—श्री केसर सिंह पुत्र श्री सांवल सिंह जाति खत्री निवासी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक
- 2— मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26
(2)की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—


- 1—प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
- 2—अप्रार्थीगण उपस्थित

:-निर्णय:-

दिनांक 03.02.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.07.2019 को समय 5.30 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से श्री केसर सिंह पुत्र श्री सांवल सिंह जाति खत्री निवासी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पठान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) जिसके बैच नं0 अनुपस्थित व पैकिंग दिनांक जुलाई/2019 अंकित थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. विक्रेता श्री केसर सिंह को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्य करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता केसर सिंह एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक द्वारा दुकान में लगभग 500 पैकेट पैक पैवड अवस्था में 250-250 ग्राम पैक के चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) रखे हुये मे से 250-250 ग्राम के 8 मूल पैक का वयन कर वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विक्रेता. श्री केसर सिंह को रु0 360/-अक्षरे तीन सौ साठ रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) खरीदशुदा 250-250 ग्राम के 8 मूल पैक को ज्यो का त्यो 2-2 नग बराबर-बराबर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I-2248 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।


चारो नमूना भागो को अलग-अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर रिलिप नं. I-2248 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता. केसर सिंह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर रिलिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पट्टंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2019/2378 दिनांक 01.10.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1702/एक्ट/2019/1234 दिनांक 05.08.2019 अनुसार केसर सिंह से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1) (zf) (c) (i) के अनुसार मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश जालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) का विकय कर रहा था वह जांच में



मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया चाय (केसर गोल्ड ब्राण्ड) का नमूना जांच में मिथ्याछाप (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 (सहपठित धारा 49)के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री केसर सिंह पुत्र श्री सांवल सिंह जाति खत्री निवासी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पटान टी कम्पनी जैन नसियां के पास कोटा रोड टोंक जिला टोंक पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार हजार रू०) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 03.02.2022 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



3.2.2022
(मरारी लाल शर्मा)

न्याय निगम अधिकारी जस्टिस
अतिरिक्त जिले के मजिस्ट्रेट
टोंक-राज०